20.07.2024

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड,
85 / 87–राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक क-61/7-1 (PFM) देहरादून, दिनांक 20 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के स्थान पर सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (असिस्टेट नेचुरल रिजनरेशन) मॉडल अपनाये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश दिनांक 12.01.2023 व तद्क्रम में संशोधन दिनांक 27.06.2023 के द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड / तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक / महानिदेशक वानिकी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा वन प्रबन्धन एवं अनुसन्धान, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति द्वारा निम्न सिफारिशें की गईः–

1. प्रदेश के मैदानी (विशेष कर तराई) क्षेत्रों में किये जा रहे वृक्षारोपण क्षेत्रों में प्रायः स्थानीय प्रजातियों का रूटस्टॉक (Rootstock) उपलब्ध न होने को ध्यान में रखते हुये इन क्षेत्रों में कार्ययोजना के अनुसार चयनित प्रजातियों का रोपण पूर्व की भांति किया जाना चाहिये।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण मुख्यतः वनावरण बढ़ाने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं जिसके लिये खुले तथा अवनत वन प्राविधानित होते हैं। इस प्रकार यह कार्यवाही ईको–रेस्टोरेशन हेतु की जाती है, जिसे देखते हुये इन क्षेत्रों में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत वृक्षारोपणों को ए0एन0आर0 मॉडल के अनुसार किया जाना चाहिए।
3. पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक वनीकरण क्षेत्र की स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुसार वृक्षारोपण तथा सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन के सम्मिश्रण के माध्यम से Eco Restoration का साईट स्पेसिफिक प्लान (स्थल विशिष्ट योजना–SSP) निरूपित किया जाना चाहिए।
4. पर्वतीय क्षेत्रों में ए0एन0आर0 मॉडल पर वृक्षारोपण को वित्तीय वर्ष 2024–25 के अग्रिम मृदा कार्य से प्रारम्भ किया जाना उचित होगा।
5. हिमालयी एवं उप–हिमालयी क्षेत्रों के जिन प्रभागों में वृक्षारोपण के कार्य किये जाने हैं, उनमें एस0एस0पी0 के निरूपण हेतु प्रत्येक प्रभाग में एक–एक जूनियर रिसर्च फैलो (जे0आर0एफ0) / Project Associate की सेवायें ली जायें।
6. साईट स्पेसिफिक प्लान (एस0एस0पी0) तैयार करने के दौरान स्थल पर पहुंच हेतु आंशिक झाड़ी कटान हेतु बजट उपलब्ध कराना होगा, जो अग्रिम मृदा कार्य के साथ किये जाने वाले कार्यों में सम्मिलित होगा।
7. वृक्षारोपण स्थल के Irregular Geographical Shape का होने के दृष्टिगत क्षेत्रफल की गणना सकल (Gross) व शुद्ध (Net) के रूप में होनी चाहिये तथा क्षेत्र की सुरक्षा हेतु परम्परागत घेरबाड़ के साथ–साथ Social Fencing के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिये।
8. कालान्तर में वृक्षारोपण के ए0एन0आर0 मॉडल को कार्ययोजनाओं में भी Mainstream किया जाना होगा, ताकि इसे निरन्तरता व संस्थागत आधार पर क्रियान्वित किया जा सके।

वन पंचायत कार्यालय
पत्रावली स0 7-1
पंजी0 सं0 85
दिनांक 22.07.24

P.T.O.

9. वृक्षारोपण को ए0एन0आर0 विधि से करने पर क्षेत्र में प्राकृतिक वृक्षों व झाड़ियों में Rootstock व Advance growth को एस0एस0पी0 में सम्मिलित किया जायेगा, जिसे देखते हुए अनुश्रवण मूल्यांकन की व्यवस्था भी ट्री सेंट्रिक (Tree centric) के स्थान पर Vegetation centric बनाई जाये, जिसके लिये नवीन तकनीक जैसे रिमोट सेंसिंग का भी प्रयोग किया जाये।
10. एस0एस0पी0 का प्ररूप निरूपित किया गया, जिसके अनुसार 40 बिन्दुओं की सूची एकत्रित की जाये।

समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, जिसके आधार पर राज्य सैक्टर योजनाओं के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के स्थान पर सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (असिस्टेट नेचुरल रिजनरेशन) मॉडल को चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अग्रिम मृदा कार्य से लागू किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य सैक्टर योजनाओं के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में जिन प्रभागों में वृक्षारोपण के कार्य किये जाने हैं, उनमें प्रत्येक प्रभाग में एक–एक जूनियर रिसर्च फैलो (जे0आर0एफ0)/Project Associate की सेवायें लेते हुए एस0एस0पी0 के निरूपण तैयार किया जाय तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के अग्रिम मृदा कार्य की मांग समिति की उपरोक्त सिफारिशों के अनुरूप ही उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः विस्तृत निर्देशिका।

29/07

(डॉ0 धनन्जय मोहन)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

पत्रांक ऊ-61 /(2) 7-1 **तदि्दनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप–निदेशक, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 धनन्जय मोहन)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

कार्यालय, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

टैलीफैक्स 05946-254803 Email :- apccfrtm@gmail.com

पत्रांक :- 12 /3-1 देहरादून दिनांक, 03 जुलाई, 2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य सैक्टर योजना से वित्तपोषित बहुद्देश्यीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत वृक्षारोपणों को सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0) मॉडल के आधार पर किये जाने एवं इस हेतु स्थल विशिष्ट योजना के निरूपण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उक्त विषय के संदर्भ में आपसे हुई वार्ता के क्रम में, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य सैक्टर योजना से वित्तपोषित बहुद्देश्यीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत, वृक्षारोपणों को सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0) मॉडल के आधार पर किये जाने एवं इस हेतु स्थल विशिष्ट योजना के निरूपण हेतु गठित समिति की सिफारिशों, वृक्षारोपण ए0एन0आर0 मॉडल तथा स्थल विशिष्ट योजना (साईट स्पेसिफिक प्लान) को वन विभाग, उत्तराखण्ड में वित्तीय वर्ष 2024–25 से लागू किये जाने के दृष्टिगत, विवरण/सूचना, पुस्तिका के रूप में संकलित की गई है।

तत्क्रम में, समिति के सदस्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा (तत्कालीन अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन) से भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.07.2024 को विचार विमर्श/चर्चा कर पुस्तिका को अन्तिम रूप दिया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त संकलित पुस्तिका को अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित करने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(डा० विवेक पाण्डेय)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक :- 12 /3-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा (तत्कालीन अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन/समिति सदस्य सचिव) को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० विवेक पाण्डेय)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य सैक्टर योजना यथा बहुद्देश्यीय वृक्षारोपण के अंतर्गत सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0) मॉडल की रूपरेखा एवं स्थल विशिष्ट योजना

(वृक्षारोपण संहिता–2006 के अध्याय 5 में समाहित)

वन विभाग, उत्तराखण्ड

प्रस्तावना

मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के आदेश संख्या क–1217/7–1 दिनांक 12.01.2023 एवं आदेश संख्या–1667/2–12 दिनांक 27.06.2023 द्वारा पर्वतीय वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के स्थान पर सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0) मॉडल पर किये जाने की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक/महानिदेशक, वानिकी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा वन प्रबंधन एवं अनुसंधान की अध्यक्षता में गठित समिति के क्रम में समिति के सदस्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा (तत्कालीन अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन) के पत्रांक–57/1–11 दिनांक 29/04/2024 से प्रस्तुत समिति की सिफारिशों के आधार पर एवं प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक क–1585/7–1 दिनांक 15/05/2024 से दिये गये निर्देश के आधार पर समिति के द्वारा निर्गत सिफारिशों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में तात्कालिक प्रभाव से लागू करने हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक–874/7–1 दिनांक 13.06.2024 से कार्यालय आदेश निर्गत किया गया है।

वर्तमान में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण किये जा रहे हैं यथा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत योजनायें, केन्द्रपोषित योजनायें, क्षतिपूरक वनीकरण आदि। राज्य सैक्टर योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण के क्षेत्र मुख्यतः कार्ययोजना से आच्छादित होते हैं तथा इन वृक्षारोपणों में मार्ग दर्शन हेतु वृक्षारोपण संहिता–2006 प्रख्यापित है। केन्द्र पोषित योजनायें जैसे ग्रीन इण्डिया मिशन तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा मानक पूर्व में ही निर्धारित हैं, जिनका पालन किया जा रहा है। अतः समिति द्वारा इन योजनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया। समिति द्वारा राज्य सैक्टर योजना से वित्तपोषित बहुद्देश्यीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन के मॉडल पर गहन विचार–विमर्श कर सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।

उक्त के क्रम में, वन विभाग, उत्तराखण्ड के स्तर से प्रख्यापित वृक्षारोपण संहिता–2006 के **अध्याय–5 (सहभागिता एवं सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन)** में उक्त समिति की सिफारिशों/वृक्षारोपण ए0एन0आर0 मॉडल/स्थल विशिष्ट योजना (साईट स्पेसिफिक प्लान) को सम्मिलित किया गया है। स्थल विशिष्ट योजना (साईट स्पेसिफिक प्लान) को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये प्रत्येक प्रभाग में एक–एक जूनियर रिसर्च फैलो (जे०आर०एफ०)/project associate की सेवायें लिये जाने हेतु प्रक्रिया की रूप–रेखा को भी सम्मिलित किया जा रहा है।

आशा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य सैक्टर योजना से वित्तपोषित बहुद्देश्यीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन के मॉडल के आधार पर किये जाने से वृक्षारोपण चयनित क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध rootstock एवं advance growth को सम्मिलित कर पौधारोपण केवल आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिससे उक्त क्षेत्रों का ईको–रेस्टोरेशन किया जा सकेगा।

सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0) मॉडल (वर्ष 2024)

(क) समिति की सिफारिशें–

पर्वतीय वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के स्थान पर सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन मॉडल की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक/महानिदेशक, वानिकी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा वन प्रबंधन एवं अनुसंधान/प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की बिन्दुवार सिफारिशें निम्न प्रकार है:–

1. प्रदेश के मैदानी (विशेष कर तराई) क्षेत्रों में किये जा रहे वृक्षारोपण क्षेत्रों में प्रायः स्थानीय प्रजातियों का Rootstock उपलब्ध न होने को ध्यान में रखते हुये इन क्षेत्रों में कार्ययोजना के अनुसार चयनित प्रजातियों का रोपण पूर्व की भांति किया जाना चाहिये।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण मुख्यतः वनावरण बढ़ाने के उद्देश्य से किये जा रहे है जिसके लिये खुले तथा अवनत वन प्राविधानित होते है। इस प्रकार यह कार्यवाही ईको–रेस्टोरेशन हेतु की जाती है, जिसे देखते हुये इन क्षेत्रों में राज्य सैक्टर के अर्न्तगत वृक्षारोपणों को ए०एन०आर०मॉडल के अनुसार किया जाना चाहिए।
3. पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक वनीकरण क्षेत्र की स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुसार वृक्षारोपण तथा सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन के समिश्रण के माध्यम से Eco Restoration का साईट स्पेसिफिक प्लान (स्थल विशिष्ट योजना–SSP) निरूपित किया जाना चाहिए।
4. पर्वतीय क्षेत्रों मे ए०एन०आर०मॉडल पर वृक्षारोपण को वित्तीय वर्ष 2024–25 के अग्रिम मृदा कार्य से प्रारम्भ किया जाना उचित होगा।
5. हिमालयी एवं उप–हिमालयी क्षेत्रों के जिन प्रभागों में वृक्षारोपण के कार्य किये जाने हैं, उनमें एस०एस०पी० के निरूपण हेतु प्रत्येक प्रभाग में एक–एक जूनियर रिसर्च फैलो (जे०आर०एफ०)/Project Associate की सेवायें ली जायें।
6. साईट स्पेसिफिक प्लान (एस०एस०पी०) तैयार करने के दौरान स्थल पर पहुंच हेतु आंशिक झाड़ी कटान हेतु बजट उपलब्ध कराना होगा, जो अग्रिम मृदा कार्य के साथ किये जाने वाले कार्यो में सम्मिलित होगा।

7. वृक्षारोपण स्थल के Irregular Geographical Shape का होने के दृष्टिगत क्षेत्रफल की गणना सकल (Gross) व शुद्ध (Net) के रूप में होनी चाहिये तथा क्षेत्र की सुरक्षा हेतु परम्परागत घेरबाड़ के साथ–साथ Social Fencing के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिये।

8. कालान्तर में वृक्षारोपण के ए०एन०आर०मॉडल को कार्ययोजनाओं में भी Mainstream किया जाना होगा, ताकि इसे निरन्तरता व संस्थागत आधार पर क्रियान्वित किया जा सके।

9. वृक्षारोपण को ए०एन०आर० विधि से करने पर क्षेत्र में प्राकृतिक वृक्षों व झाड़ियों में Rootsstock व Advance growth को एस०एस०पी० में सम्मिलित किया जायेगा, जिसे देखते हुये अनुश्रवण मूल्यांकन की व्यवस्था भी ट्री सेंट्रिक (Tree centric) के स्थान पर Vegetation centric बनाई जाये, जिसके लिये नवीन तकनीक जैसे रिमोट सेंसिंग का भी प्रयोग किया जाये।

10. एस०एस०पी० का प्रारूप निरूपित किया गया, जिसके अनुसार 40 बिन्दुओं की सूचना एकत्रित की जाये।

(ख) वृक्षारोपण ए0एन0आर0 मॉडल–

पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के स्थान पर प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0) मॉडल के सम्बन्ध में समिति का प्रस्ताव निम्न प्रकार है:–

1.1 उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों एवं विशिष्ट जलवायु को ध्यान में रखकर पुनरूत्पादन की विधि का चयन इस प्रकार किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि स्थानीय प्रजातियों के पुनरूत्पादन को बढ़ावा मिले तथा उपलब्ध रूट स्टॉक का भरपूर उपयोग किया जा सके।

पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढ़ाल के दृष्टिगत मृदा क्षरण को रोकने के उद्देश्य से पुनरूत्पादन प्राप्त करने की विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे कि मृदा को कम से कम छेड़ा (Disturb) जाए। ए०एन०आर० विधि प्राकृतिक पुनरूत्पादन के अत्यन्त नजदीक है, जिसमें स्थानीय प्रजातियों व उपलब्ध रूट स्टॉक का संवर्द्धन कर पुनरूत्पादन प्राप्त किया जाता है। ए०एन०आर० विधि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अत्यन्त उपयुक्त है क्योकि इस विधि में मृदा से छेड़–छाड़ किये बिना पुनरूत्पादन प्राप्त किया जाता हैं। कृत्रिम वृक्षारोपण की तुलना में ए०एन०आर० मॉडल अपनाये जाने पर अपेक्षाकृत कम व्यय आता है।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक पर्वतीय संरचना को देखते हुए वनावरण में वृद्धि प्राप्त करने का एक नया मॉडल तैयार किया गया है जिसमें स्थानीय प्रजातियों का चयन करते हुए पौधरोपण के

साथ–साथ उपलब्ध रूट स्टॉक को महत्व देते हुए वनावरण को बढ़ाने तथा वनों की गुणवत्ता/घनत्व में सुधार किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

उत्तराखण्ड में वन वृद्धि बढ़ाने के लिए रोपण के साथ–साथ प्राकृतिक पुनरोत्पादन मॉडल को अपनाकर वनों की गुणवत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए ए०एन०आर० के तीन मॉडल अपनाये जाने पर विचार किया गया है:–

1.2 प्रस्तावित ए०एन०आर० मॉडल

मॉडल	मापदण्ड	वृक्षारोपण हेतु संक्षिप्त सांकेतिक कार्य
ए०एन०आर० मॉडल –I	आंशिक रूप से अवकृष्ट/अवनत वन। छत्र घनत्व 40% से 70% के मध्य हो। अवशेष रूट स्टॉक प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु पर्याप्त हो। वन में विद्यमान प्रजाति पुनरोत्पादन हेतु पर्याप्त हो।	1. कोई वृक्षारोपण नहीं 2. आवश्यकतानुसार घेरबाड़ एवं सुरक्षा 3. खुले क्षेत्रों में बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यकतानुसार हल्का मृदा कार्य 4. आवश्यकतानुसार पुनरोत्पादन में सहायता हेतु खरपतवार की सफाई।
ए०एन०आर० मॉडल –II	अवकृष्ट/अवनत वन। छत्र घनत्व 10% से 40% के मध्य हो। अवशेष रूट स्टॉक गैप प्लान्टिंग के साथ प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु पर्याप्त हो।	1. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित कुल पौध प्रति है० का अधिकतम 50 प्रतिशत पौध रोपण के द्वारा व शेष पौध रूट स्टॉक के सिंग्लिग से पूर्ण की जायेगी। 2. वृक्षारोपण एवं उपलब्ध रूट स्टॉक विकसित किये जाने से सम्बन्धित अन्य कार्य।
ए०एन०आर० मॉडल –III	अवकृष्ट/अवनत वन। छत्र घनत्व 10% से 40% के मध्य हो। अवशेष रूट स्टॉक प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु अपर्याप्त हो तथा ब्लॉक वृक्षारोपण की आवश्यकता हो।	1. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित कुल पौध प्रति है० की सीमा तक। 2. वृक्षारोपण एवं उपलब्ध रूट–स्टॉक विकसित किये जाने से सम्बन्धित अन्य कार्य।

1.3 (क) वृक्षारोपण क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रूट स्टॉक को विकसित करने के कार्य को सम्मिलित करने पर किसी वृक्षारोपण क्षेत्र में 10 वर्षो तक कार्य किये जाने होंगे।

(ख) सम्बन्धित वन संरक्षक आवश्यकतानुसार अनुसुचित दर को संशोधित कर प्रति है० व्यय का norms निर्धारित करेंगे।

2. वृक्षारोपण/प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु प्रस्तावित कार्य

2.1 उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण की सफलता को सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र में पूर्व से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रूट स्टॉक का संवर्द्धन एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों यथा साल, देवदार, बांज, फर–स्प्रूस आदि हेतु यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि किसी भी रोपण क्षेत्र में निर्धारित वृक्षारोपण मॉडल के अनुरूप रोपित किये जाने वाले पौधों की पूर्ति क्षेत्र विशिष्ट योजना (साईट स्पेसिफिक प्लान) (जो कि रेंज अधिकारी के द्वारा स्वयं फील्ड भ्रमण कर बनाया गया हो तथा वन संरक्षक से अनुमोदन कराया गया हो) के अनुसार पौध रोपण के द्वारा व प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रूट स्टॉक के संवर्द्धन से की जाय। उक्त हेतु 10 से 15 है० तक का क्षेत्र चयन किया जाए। चयन के पश्चात सम्पूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर उपलब्ध सम्पूर्ण रूट स्टॉक की गणना की जायेगी तथा औसत रूट स्टॉक प्रति है० का आंकलन करते हुए निम्नलिखित मॉडल में से किसी एक मॉडल में क्षेत्र को रखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र की क्षेत्र विशिष्ट योजना (साईट स्पेसिफिक प्लान) निरूपित किया जायेगा।

2.2 उपरोक्त ए०एन०आर० मॉडल के अनुसार किसी वृक्षारोपण क्षेत्र (उदाहरणार्थ 1100 पौध/है० मॉडल) में किये जाने वाले सांकेतिक (Indicative) कार्यः–

2.2.1 ए०एन०आर० मॉडल– I

वर्ष	ANR मॉडल–I कार्य मद (उपलब्ध रूट स्टॉक 1100/है० या ज्यादा)
	आंशिक रूप से अवकृष्ट/अवनत वन।
	छत्र घनत्व 40% 70% के मध्य हो।
	अवशेष रूट स्टॉक प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु पर्याप्त हो।
	वन में विद्यमान प्रजाति पुनरोत्पादन हेतु पर्याप्त हो।
प्रथम वर्ष	1. सर्वेक्षण एवं सीमांकन।
	2. मानसून के तुरन्त उपरान्त झाड़ी सफाई (केवल अवांछनीय झाड़ी/खरपतवार)।
	3. चिन्हित रोपण क्षेत्र की घेरबाड़ (कुली वालिंग/तारबाड़/सुरक्षा खाई)।
	4. 1100 रूट स्टॉक प्रति है० का रेखांकन।
	5. खुले क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से गिरने वाले बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यकतानुसार हल्का मृदा कार्य।
	6. प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चयनित क्षेत्रों की स्थिति के अनुरूप रूट स्टॉक (पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से बांज प्रजाति व तराई/मैदानी क्षेत्र मे साल प्रजाति) का चिन्हीकरण (लाल/सफेद पेन्ट से)। संवर्द्धन कार्य हेतु चिन्हित प्रजाति के 0 से 10 सेमी०/10 से 20 सेमी० ब्यास वर्ग के ऐसे ठूंठों को चिन्हित किया जाय जो झाड़ीनुमा/विकृत रूप

	में हों और इनमें संवर्द्धन कार्य (कॉपिस/सिंग्लिंग) के द्वारा सुधार कर इन्हें वृक्ष का स्वरूप दिया जाना संभव हो।
	7. प्रति है0 अधिकतम 200 रनिंग मीटर (ढाल के अनुसार) की दर से कन्टूर ट्रेन्चेज (0.30मी0×0.30मी0 क्रास सेक्शन) का खुदान। इस प्रकार खुदान से प्राप्त मिट्टी डाउन हिल साईड में सहेज कर रखी जायेगी ताकि आगामी वर्षा काल में इसमें बीज बुआई/घास रोपण किया जा सके। आवश्यकतानुसार भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रेशर पिटस का निर्माण किया जा सकता है।
	8. क्षेत्र की स्थिति के अनुरूप अनिवार्य रूप से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
द्वितीय वर्ष	1. मानसून के तुरन्त उपरान्त झाड़ी सफाई (केवल अवांछनीय झाड़ी/खरपतवार)।
	2. ट्रेन्च की ड्रेसिंग।
	3. ट्रेन्चेज में घास के रूट स्लिप का रोपण/बीज बुआई।
	4. प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एवं प्रथम वर्ष में चिन्हित रूट स्टॉक में संवर्द्धन कार्य (सिंग्लिंग/थावला बनाना व निराई–गुड़ाई)। संवर्द्धन कार्य में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं का ध्यान में रखा जायः– i- सिंग्लिंग कार्य तेज धारयुक्त औजार से किया जाय। प्रथम वर्ष में प्रत्येक ठूंठ पर 02 से 03 ओजस्वी एवं स्वस्थ कल्ले ही छोड़े जाएं, जो आगामी वर्षो में अन्ततः संवृद्धि के अनुसार एक ही रखा जायेगा। ii- सिंग्लिंग/कॉपिस हेतु काटे गये स्थान पर फफूद रोधी पेस्ट लगाया जाय ताकि वर्षाकाल में इसे सड़ने से बचाया जा सके। iii- सिंग्लिंग की कार्यवाही दिसम्बर/जनवरी माह में ही की जायेगी। iv- चिन्हित रूट स्टॉक के चारों ओर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का थावला बनाया जायेगा। साल प्रजाति के क्षेत्रों में बीज गिरने से पूर्व क्षेत्र में हल्का मृदा कार्य किया जायेगा ताकि गिरे हुये बीजों के अंकुरण मे सहायता मिले।
	5. अनिवार्य रूप से क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।
तृतीय वर्ष	1. मानसून के तुरन्त उपरान्त झाड़ी सफाई (केवल अवांछनीय झाड़ी/खरपतवार)।
	2. चिन्हित रूट स्टॉक में सिंग्लिंग कार्य ।
	3. क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।
चतुर्थ वर्ष	1. सिंग्लिंग कार्य।
	2. क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।
पंचम वर्ष से दशम वर्ष तक	क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।

2.2.2 ए०एन०आर० मॉडल–II

वर्ष	**ANR मॉडल–II कार्य मद** **(उपलब्ध रूट स्टॉक 550 या ज्यादा/ है० परन्तु 1100/है० से कम)** अवकृष्ट/अवनत वन। छत्र घनत्व 10% से 40% के मध्य हो। अवशेष रूट स्टॉक गैप प्लान्टिंग के साथ प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु पर्याप्त हो।
प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)	1. सर्वेक्षण एवं सीमांकन।
	2. मानसून के तुरन्त उपरान्त झाड़ी सफाई (केवल अवांछनीय झाड़ी/खरपतवार)।
	3. चिन्हित रोपण क्षेत्र की घेरबाड़ (कुली वालिंग/तारबाड़/सुरक्षा खाई)।
	4. अधिकतम 550 गढढों का रेखांकन एवं खुदान।
	5. प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चयनित क्षेत्रों की स्थिति के अनुरूप रूट स्टॉक (पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से बांज प्रजाति व तराई/मैदानी क्षेत्र मे साल प्रजाति) का चिन्हीकरण (लाल/सफेद पेन्ट से)। संवर्द्धन कार्य हेतु चिन्हित प्रजाति के 0 से 10 सेमी०/10 से 20 सेमी० ब्यास वर्ग के ऐसे ठूंठों को चिन्हित किया जाय जो झाड़ीनुमा/विकृत रूप में हों और इनमें संवर्द्धन कार्य (कॉपिस/सिग्लिंग) के द्वारा सुधार कर इन्हें वृक्ष का स्वरूप दिया जान संभव हो।
	6. प्रति है0 अधिकतम 200 रनिंग मीटर (ढाल के अनुसार) की दर से कन्टूर ट्रेन्चेज (0.30मी0×0.30मी0 क्रास सेक्शन) का खुदान। इस प्रकार खुदान से प्राप्त मिट्टी डाउन हिल साईड में सहेज कर रखी जायेगी ताकि आगामी वर्षाकाल में इसमें बीज बुआई/घास रोपण किया जा सके। आवश्यकतानुसार भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रेशर पिटस का निर्माण किया जा सकता है।
	7. क्षेत्र की स्थिति के अनुरूप अनिवार्य रूप से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
द्वितीय वर्ष (रोपण कार्य)	1. मानसून के तुरन्त उपरान्त झाड़ी सफाई (केवल अवांछनीय झाड़ी/खरपतवार)।
	2. गढ़ढा भरान/ट्रेन्च की ड्रेसिंग।
	3. पौध /घास ढुलान।
	4. न्यूनतम 02 वर्ष के पौधों का रोपण/थावला बन्दी/निराई–गुड़ाई।
	5. ट्रेन्चेंज में घास के रूट स्लिप का रोपण/बीज बुआई।
	6. प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एवं प्रथम वर्ष में चिन्हित रूट स्टॉक में संवर्द्धन कार्य (सिंग्लिंग/थावला बनाना व निराई–गुड़ाई)। संवर्द्धन कार्य में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायः– i- सिंग्लिंग कार्य तेज धारयुक्त औजार से किया जाय। प्रथम वर्ष में प्रत्येक ठूंठ पर 02 से 03 ओजस्वी एवं स्वस्थ कल्ले ही छोड़े जाएं, जो आगामी वर्षों में अन्ततः संवृद्वि के अनुसार एक ही रखा जायेगा। ii- सिंग्लिंग/कॉपिस हेतु काटे गये स्थान पर फफूंद रोधी पेस्ट लगाया जाय ताकि वर्षाकाल में इसे सड़ने से बचाया जा सके।

	iii- सिंग्लिंग की कार्यवाही दिसम्बर/जनवरी माह में ही की जायेगी। iv- चिन्हित रूट स्टॉक के चारों ओर 30 सेन्टीमीटर त्रिज्या का थावला बनाया जायेगा व इसकी तीन बार (जुलाई/अगस्त व दिसम्बर /जनवरी) निराई–गुड़ाई कर उसमें एक बार (जुलाई/अगस्त) जैविक खाद डाली जायेगी। साल प्रजाति के क्षेत्रों में बीज गिरने से पूर्व क्षेत्र में हल्का मृदा कार्य किया जायेगा ताकि गिरे हुये बीजों के अंकुरण मे सहायता मिले।
	7. अनिवार्य रूप से क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।
तृतीय वर्ष	1.मानसून के तुरन्त उपरान्त झाड़ी सफाई (केवल अवांछनीय झाड़ी/खरपतवार)। 2.अधिकतम 15 प्रतिशत बीटिंग अप हेतु मृत पौधों (चिन्हित रूट स्टॉक सहित) को चिन्हित कर गढढों का खुदान एवं उनमें न्यूनतम 02 वर्ष के पौधों का रोपण व रूट स्टॉक में सिंग्लिंग कार्य। 3. रोपित पौध व सिंग्लिंग किये गये रूट स्टॉक की निराई–गुड़ाई व जैविक खाद डालना। 4. क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।
चतुर्थ वर्ष	1. सिंग्लिंग कार्य। 2. रोपित पौध व सिंग्लिंग किये गये रूट स्टॉक की निराई–गुड़ाई व जैविक खाद डालना। 3. क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।
पंचम वर्ष से दशम वर्ष तक	क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।

2.2.3 ए०एन०आर०मॉडल–III

वर्ष	**ANR मॉडल–III कार्य मद (उपलब्ध रूट स्टॉक 550 से कम/है०)** अवकृष्ट/अवनत वन। छत्र घनत्व 10% से 40% के मध्य हो। अवशेष रूट स्टॉक प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु अपर्याप्त हो तथा ब्लॉक वृक्षारोपण की आवश्यकता हो।
प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)	1. सर्वेक्षण एवं सीमांकन।
	2. मानसून के तुरन्त उपरान्त झाड़ी सफाई (केवल अवांछनीय झाड़ी/खरपतवार)।
	3. चिन्हित रोपण क्षेत्र की घेरबाड़ (कुली वालिंग/तारबाड़/सुरक्षा खाई)।
	4. अधिकतम 1100 गढ़ढों का रेखांकन एवं खुदान।
	5. प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चयनित क्षेत्रों की स्थिति के अनुरूप रूट स्टॉक (पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से बांज प्रजाति व तराई/मैदानी क्षेत्र में साल प्रजाति) का चिन्हीकरण (लाल/सफेद पेन्ट से)। संवर्द्धन कार्य हेतु चिन्हित प्रजाति के 0 से 10 सेमी०/10 से 20 सेमी०

	ब्यास वर्ग के ऐसे ठूंठों को चिन्हित किया जाय जो झाड़ीनुमा/विकृत रूप में हों और इनमें संवर्द्धन कार्य (कॉपिस/सिंग्लिंग) के द्वारा सुधार कर इन्हें वृक्ष का स्वरूप दिया जाना सम्भव हो।
	6. प्रति है० अधिकतम 200 रनिंग मीटर (ढाल के अनुसार) की दर से कन्टूर ट्रेन्चेज (0.30मी0×0.30मी0 क्रास सेक्शन) का खुदान। इस प्रकार खुदान से प्राप्त मिट्टी डाउन हिल साईड में सहेज कर रखी जायेगी ताकि आगामी वर्षा काल में इसमें बीज बुआई/घास रोपण किया जा सके। आवश्यकतानुसार भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रेशर पिटस का निर्माण किया जा सकता है।
	7. क्षेत्र की स्थिति के अनुरूप अनिवार्य रूप से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
द्वितीय वर्ष (रोपण कार्य)	1. मानसून के तुरन्त उपरान्त झाड़ी सफाई (केवल अवांछनीय झाड़ी/खरपतवार)
	2. गढढ़ा भरान/ट्रेन्च की ड्रेसिंग।
	3. पौध/घास ढुलान।
	4. न्यूनतम 02 वर्ष के पौधों का रोपण/थावला बन्दी/निराई–गुड़ाई।
	5. ट्रेन्चेज में घास के रूट स्लिप का रोपण/बीज बुआई।
	6. प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एवं प्रथम वर्ष में चिन्हित रूट स्टॉक में संवर्द्धन कार्य (सिंग्लिंग/थावला बनाना व निराई–गुड़ाई)। संवर्द्धन कार्य में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं का ध्यान में रखा जायः– i- सिंग्लिंग कार्य तेज धारयुक्त औजार से किया जाय। प्रथम वर्ष में प्रत्येक ठूंठ पर 02 से 03 ओजस्वी एवं स्वस्थ कल्ले ही छोड़े जाएं, जो आगामी वर्षो में अन्ततः संवृद्धि के अनुसार एक ही रखा जायेगा। ii- सिंग्लिंग/कॉपिस हेतु काटे गये स्थान पर फफूद रोधी पेस्ट लगाया जाय ताकि वर्षाकाल में इसे सड़ने से बचाया जा सके। iii- सिंग्लिंग की कार्यवाही दिसम्बर/जनवरी माह में ही की जायेगी। iv- चिन्हित रूट स्टॉक के चारों ओर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का थावला बनाया जायेगा व इसकी तीन बार (जुलाई/अगस्त व दिसम्बर/जनवरी) निराई–गड़ाई कर उसमें एक बार (जुलाई/ अगस्त) जैविक खाद डाली जायेगी। साल प्रजाति के क्षेत्रों में बीज गिरने से पूर्व क्षेत्र में हल्का मृदा कार्य किया जायेगा ताकि गिरे हुये बीजों के अंकुरण मे सहायता मिले।
	7. अनिवार्य रूप से क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।
तृतीय वर्ष	1. मानसून के तुरन्त उपरान्त झाड़ी सफाई (केवल अवांछनीय झाड़ी/खरपतवार)।
	2. अधिकतम 15 प्रतिशत बीटिंग अप हेतु मृत पौधों (चिन्हित रूट स्टॉक सहित) को चिन्हित कर गढढों का खुदान एवं उनमें न्यूनतम 02 वर्ष के पौधों का रोपण व रूट स्टॉक में सिंग्लिंग कार्य।
	3. रोपित पौध व सिंग्लिग किये गये रूट स्टॉक की निराई–गुड़ाई व जैविक खाद डालना।
	4. क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।

चतुर्थ वर्ष	1. सिंग्लिंग कार्य। 2. रोपित पौध व सिंग्लिंग किये गये रूट स्टॉक की निराई–गुड़ाई व जैविक खाद डालना। 3. क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।
पंचम वर्ष से दशम वर्ष तक	क्षेत्र की सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित)।

उक्त प्राविधान सांकेतिक (Indicative) हैं। सम्बन्धित वन संरक्षक वृत्त के अन्तर्गत प्रभागों में चालू कार्ययोजनाओं के प्राविधानों का संज्ञान लेकर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मदों को सम्मिलित कर वृत्त की दरों की अनुसूची (SOR) को पुनरीक्षित कर सकते हैं।

(ग) स्थल विशिष्ट योजना (Site Specific Plan-SSP)

वृक्षारोपण को ए0एन0आर0 मॉडल पर किये जाने हेतु **Site Specific Plan-SSP** का प्रारूप तैयार किये जाने हेतु समिति द्वारा मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठित की गई। मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पत्रांक– 543/7–1/2–16 दिनांक 06.09.2023 से वृक्षारोपण को ए0एन0आर0 मॉडल पर किये जाने हेतु **Site Specific Plan-SSP** का प्रारूप समिति को प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण को ए0एन0आर0 मॉडल पर किये जाने हेतु **Site Specific Plan-SSP** का प्रारूप निम्न प्रकार हैः–

वृक्षारोपण और ए०एन०आर० कार्यों के लिए एस०एस०पी० की तैयारी हेतु प्रारूप

क्रं0सं0	आइटम/गतिविधि	टिप्पणी
1	प्रभाग का नाम	
2	राजि का नाम	
3	बीट का नाम	
4	खंड	
5	कक्ष	
6	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	दिशासूचक यंत्र/कम्पास एवं जी०पी०एस० सर्वेक्षण।
7	के0एम0एल0 फाइल तैयार करना	फील्ड डेटा से के०एम०एल० फाइल तैयार करना।
8	सड़क से दूरी	मोटर योग्य सड़क।
9	निकटतम गांव/बस्ती	ए०एन०आर० स्थल से दूरी एवं नाम।
10	जनसंख्या	प्रत्येक गांव/बस्ती की जनसंख्या।
11	निकटतम वन चौकी की स्थिति	निकटतम चौकी से स्थल की दूरी।

12	पशुधन	अनुमानित संख्या।
13	जलस्रोत, यदि कोई हो	झरने, नौला, धारा आदि और क्या वे किसी जलापूर्ति योजना से जुड़े है।
14	मृदा अपरदन की स्थिति	भू–स्खलन आदि।
15	वनाग्नि का 10 वर्ष का इतिहास	प्रभागीय डाटा और एफ०एस०आई० डाटा।
16	क्षेत्र का वन्य जीवन	प्रमुख प्रजातियां एवं उनकी प्रचुरता।
17	स्थल की समस्याऐं/मुद्दे, यदि कोई हो।	कोई विशिष्ट मुद्दा या समस्या।
18	क्षेत्र पर वन्यजीवों एवं पशुधन का दबाव	चराई दबाव की तीव्रता।
19	वन प्रकार मानचित्र	आई०टी०सेल/आउटसोर्स से
20	घनत्व मानचित्र	आई०टी०सेल/आउटसोर्स से
21	ऊँचाई मानचित्र	आई०टी०सेल/आउटसोर्स से
22	ढलान मानचित्र	आई०टी०सेल/आउटसोर्स से
23	आस्पेक्ट (Aspect) एवं जल निकासी मानचित्र	आई०टी०सेल/आउटसोर्स से
24	मृदा नमूना	स्थल से एकत्र करने के लिए कम से कम 4–5 नमूनों और संग्रह बिंदु को स्थल पर 1 फीट से नीचे की गइराई पर उचित प्रकार से फैलाया जाना चाहिए।
25	प्रजातिवार खड़े पेडों की पूरी गिनती	प्रजाति,संख्या एवं अनुमानित व्यास वर्ग।
26	प्रजातिवार रूट स्टॉक की पूरी गिनती	प्रजाति,संख्या एवं अनुमानित ऊँचाई।
27	जड़ी बूटियों /झाड़ियों/घास के लिए आर० एम० ई०	1मी०X 1मी० प्लाट कम से कम 4 संख्या प्रति हेक्टेयर क्षेत्र, प्रजातिवार संख्या की गणना।
28	संसाधन मानचित्र	खड़े पेड़ों, रूट स्टॉक, जल संसाधन, भूमि अपरदन क्षेत्रों, आर०एम०ई० प्लाट आदि को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र।
29	उद्देश्य	ए०एन०आर० गतिविधि का मुख्य उद्देश्य , घनत्व आवरण/मृदा एवं नमी संरक्षण /जैव विविधता संरक्षण/वन्यजीव आवास सुधार/आजीविका सुधार/गैर प्रकाष्ठ वन उपज आदि को बढ़ाना है। एक स्थल के एक या अनेक उद्देश्य हो सकते हैं।
30	चयनित योजनाएं	राज्य या केन्द्र या ई०ए०पी० योजना का नाम।
31	आवश्यक सुरक्षा के प्रकार	पत्थर की दीवार/कांटेदार तार/ श्रृंखला कड़ी/सौरऊर्जा/सामाजिक घेरबाड़ आदि भौतिक बाड़ के प्रकार।
32	वृक्षारोपण की मात्रा	रोपित किये जाने वाले पौंधों की संख्या।
33	वृक्षारोपण हेतु प्रजातियां	रोपित किये जाने वाले पौंधों की प्रजातिवार

		संख्या।
34	निकटतम पौधालय	उस पौधालय का नाम और दूरी जहां से पौंधे एकत्र किए जाने हैं, एवं परिवहन की दूरी।
35	अन्य वन वर्धन कार्य	रूट स्टाक और खड़े पेड़ों के लिए मल्चिंग टेंडिंग, छटाई आदि, यदि आवश्यक हो (मात्रा)।
36	मृदा नमी संरक्षण	प्रस्तावित संरचना की मात्रा एवं प्रकार, यदि आवश्यक हो।
37	कोई विशेष हस्तक्षेप, यदि कोई हो	विशेष समस्याओं अथवा मुद्दों को संबोधित करना।
38	कार्य सूची (Work Schedule) 5 वर्ष	किए जाने वाले कार्यों की माहवार सूची।
39	बजट/अनुमान	05 वर्षों के लिए वर्षवार अनुमान एवं बजट।
40	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	हस्तक्षेपों के प्रभाव व क्षेत्र के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 05 साल की सूची (प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्यों के आधार पर पहचाने जाने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विशिष्ट मानदंड)।

(घ) जूनियर रिसर्च फैलो (जे०आर०एफ०)/ Project Associate की सेवायें

स्थल विशिष्ट योजना (Site Specific Plan-SSP) का तकनीकी रूप से सुदृढ़ होने के लिये तकनीकी सेवा लिया जाना समिति द्वारा आवश्यक समझा गया। समिति द्वारा इस संबंध में सिफारिश की गई है कि हिमालयी एवं उप–हिमालयी क्षेत्रों के जिन प्रभागों में वृक्षारोपण के कार्य किये जाने हैं, उनमें एस०एस०पी० के निरूपण हेतु प्रत्येक प्रभाग में एक–एक जूनियर रिसर्च फैलो (जे०आर०एफ०)/Project Associate की सेवायें ली जायें। जिस हेतु प्रक्रिया की रूप–रेखा समिति द्वारा निम्न प्रकार तय की गई है:--

1. जूनियर रिसर्च फैलो (**जे०आर०एफ०**) की सेवायें लेने हेतु भी जोनल चीफ की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिसमें संबंधित वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी व मुख्यालय के उप वन संरक्षक से अनिम्न प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति जूनियर रिसर्च फैलो (**जे०आर०एफ०**) के दायित्व एवं उनके मूल्याकंन का प्रारूप भी प्रस्तावित करेगी। JRF की एक वर्षीय सेवायें प्राप्त करने में समस्त शासनादेशों/आदेशों को ध्यान में रखते हुए, नितांत अस्थाई रूप से सेवा प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्णतः प्रख्यापित नियमों/शासनादेशों/आदेशों की परिधि के अंतर्गत की जानी होगी।
2. **कैलेण्डर–** जूनियर रिसर्च फैलो (**जे०आर०एफ०**) की सेवायें प्राप्त करने हेतु चयन प्रक्रिया/स्क्रीनिंग (परिणाम बजट आवंटन के पश्चात) माह अप्रैल में की जानी होगी। सामान्यता

बजट अप्रैल माह में उपलब्ध नहीं हो सकता है, अतः इस हेतु प्रक्रिया अप्रैल माह में पूर्ण करनी होगी तथा परिणाम बजट आवंटन के पश्चात घोषित करना होगा ताकि प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण एस0एस0पी0 के निरूपण का कार्य बाधित न हो। जूनियर रिसर्च फैलो (**जे०आर०एफ०**) की सेवाये प्रतिवर्ष अप्रैल में एक वर्ष के लिये होगा। इस हेतु प्रतिवर्ष नये सिरे से प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

3. स्थल विशिष्ट योजना (Site Specific Plan-SSP) तैयार करने के दौरान स्थल पर पहुंच हेतु आंशिक झाडी कटान हेतु बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी, जिसे अग्रिम मृदा कार्य के साथ किये जाने वाले कार्यों में समायोजित किया जाना होगा।

4. स्थल विशिष्ट योजना (Site Specific Plan-SSP) वन क्षेत्राधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उनके हस्ताक्षर के साथ सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को 15 अक्टूबर तक प्रस्तुत करना होगा।

5. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी आवश्यक परीक्षण कर स्थल विशिष्ट योजना (Site Specific Plan-SSP) को वृत्त स्तर व जोन स्तर पर चर्चा के उपरान्त नियोजन कार्यालय को 15 नवम्बर तक बजट आवंटन की प्रक्रिया हेतु प्रेषित करेंगे।